

**STATEMENT BY MINISTER**

**Re. incident in Kadi Town District  
Mehasana, Gujarat on 12-5-1995**

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN): Madam, I beg to lay on the Table a statement regarding the incident in Kadi town of District Mehasana, Gujarat on 12-5-1995.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I request that the copies of the Statement should be distributed to all the Members.

SHRI AJIT P. K. JOGI (Madhya Pradesh): Madam, since we are not seeking clarifications, let the hon. Leader of the House tell us the salient features of the Statement.

THE DEPUTY CHAIRMAN: That is not done as a back-door entry.

SHRI S. B. CHAVAN: Madam, there is only thing which I would like to mention specially. As was requested by one or two hon. Members that the Leader of the Opposition, the Chief Minister of Gujarat and I should meet and discuss among ourselves and thereafter make a statement, we had this kind of a discussion yesterday. The hon. Chief Minister was gracious enough to come and we exchanged our views and he agreed for a sitting Judge to make an inquiry into every thing. This is the only thing that I thought I must tell the House.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now I can relieve the Minister of his trouble. We will take up the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 1995. Shri P. A. Sangma.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Is he out of labour?

THE DEPUTY CHAIRMAN: No. He was very much in the Labour Ministry. I don't want him to be out of labour.

**THE MATERNITY BENEFIT (AMEND-  
MENT) BILL, 1995**

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, be taken,' into consideration."

Madam, as the hon. Members are aware, the Maternity Benefit Act, 1961 regulates the employment of women in certain establishments before and after childbirth and provides for maternity and certain other benefits, the Act applies, in the first instance, to factories, mines, plantations, shops or establishments and the circus industry. It can be extended to other establishments by the State Governments. There is no wage limit for coverage under the Act.

Under the Act, women employees are entitled to maternity benefit at the rate of average daily wages for the period of their actual absence up to 12 weeks due to delivery. In cases of illness arising due to pregnancy, etc., they are entitled to additional leave with wages for a period of one month.

They are also entitled to get six weeks' maternity benefit in case of miscarriage. The Act also makes certain provisions to safeguard the interests of pregnant women workers.

[The Vice-Chairman (Shri Md. Salim in the Chair.)]

The Act was last amended in 1988. In order to motivate and also to facilitate women employees to undertake family welfare measures, the Ministry of Health and Family Welfare had made certain recommendations for amendment of the Act. Keeping their recommendations in view, it is proposed to carry out certain amendments so as to provide the following additional benefits to women employees:—

(i) Grant of six weeks' leave with wages in the case of medical termination of pregnancy.

(ii) Grant of two weeks' leave with wages to women employees who undergo tubectomy operation.

(iii) Grant of leave with wages for a maximum period of one month in the case of illness arising out of MTP or tubectomy.

These are the important amendments proposed through this Bill. The Standing Committee of Parliament on Labour and Welfare have also considered and approved the proposed amendments. I hope the Members will welcome the proposed amendments and the Bill can be passed with a short discussion, if Members agree. With these words, I commend the Bill for the consideration of the House.

*The question was proposed.*

**श्रीमती मासती शर्मा (उत्तर प्रदेश) :**

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस बिल में इन तीनों प्वाइंट्स में जो महिलाओं को सुविधाएं दी हैं उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहती हूँ और वह यह कि अच्छा होता मंत्री जी यदि आप यह संशोधन करते समय किसी महिला मंत्री को भी साथ बैठा लेंते क्योंकि आप नहीं जानते कि प्रसव तक महिलाएं जितनी कठिनाइयों से गुजरती है, महिलाएं उसे बर्दाश्त कर लेती हैं लेकिन जब वे छोटे शिशु को जन्म देती हैं... (व्यवधान) मेहरबानी करिए। आपको इसकी जानकारी नहीं है, बीच में मत बोलिए, और अगर जानकारी हो तो सही सही बताइए...

**श्री हंसू हनुमन्तः :** अपनी बीबी से मशिवरा किया है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) :** यह मशिवरा करके नहीं समझा जा सकता है।

**श्रीमती मासती शर्मा :** मैं मंत्री महोदय के सामने एक बात रखना चाहती हूँ। जिस समय महिलाएं छोटे शिशु को जन्म देकर 6 सप्ताह बाद फैक्ट्री, खानों, कारखानों या अन्य स्थानों पर काम करने जाएंगी तो मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूँ कि 6 सप्ताह के बच्चे का खानों, कारखानों या अन्य स्थानों पर किस प्रकार से पालन पोषण होगा। मैं बड़ा व्यवहारिक सुझाव देना चाहती हूँ। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने जो 6 सप्ताह की छुट्टी की सुविधा दी है

उसके लिए तो मैं धन्यवाद देती हूँ लेकिन इन सब स्थानों पर इन कामकाजी महिलाओं के लिए शिशु बूहों की स्थापना अवश्य होनी चाहिए जहाँ इन बच्चों की सफाई, उनके दूध दवाई आदि का सारा प्रबंध किया जा सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जो इतनी बड़ी सुविधा दी है उसके साथ साथ यह सुविधा भी और प्रदान करने का कष्ट करें। मैं कोई लम्बे चौड़े और सुझाव नहीं रखना चाह रही हूँ।

मंत्री महोदय, जो दूसरे और तीसरे प्वाइंट्स आपने दिए हैं कि आप दो सप्ताह की सुविधा देंगे फेमिली प्लानिंग के अपरेशन के लिए और यदि कोई अपरेशन में असुविधा लड़ी हो गयी तो उसमें आप चार सप्ताह की सुविधा देंगे। मैं इसमें भी आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इन सारे अपरेशंस में जो आप आर्थिक सहायता देते हैं वह बहुत कम है। ऐसी महिलाएं कुछ समय तक पौष्टिक आहार खा सकें इसके लिए जो आर्थिक सहायता आप देते हैं इसमें भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, मेरा यह सुझाव है।

इसके साथ साथ एक बात मैं आपसे और निवेदन करना चाहती हूँ। महोदय, शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीजें ऐसी हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने जो मैटरनिटी सेंटर्स खोले हुए हैं उनकी दशा में आप ध्यान दीजिए - एक तो वे आपने जंगलों में खोले हुए हैं। जंगलों में बेचारी एन.एन.एम. की सेपटी की कोई व्यवस्था नहीं है। ये वहाँ रह नहीं पाती हैं। इसलिए मैं आपसे यह प्राथना करती हूँ कि गांव प्रधान को आप जिम्मेदारी सौंपिए कि उनके रहने की रख रखाव की उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वह ले उनके रहने की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। रात बिरात किसी भी समय आवश्यकता पड़ती है तो उनको मरीज के साथ जाना पड़ता है तो आज कोई सुरक्षा नहीं। ऐसे कसेबसे होते हैं जहाँ कि स्वयं ये एन० एन० एम० बर से बर

[श्रीमती मालती शर्मा]

कर्मों की शिकार होती हैं। तो सब से पहले मैं आपसे यह निवेदन करूंगी कि इन मैटर्निटी सेंटर्स पर इन ए०एन०एम्ज० के रहने की व्यवस्था कराएँ। इसके साथ-साथ ये यह भी आपसे निवेदन करूंगी कि जिस महिला के स्वयं के तन पर पूरा कपड़ा नहीं होता वह जब डिलिवरी के लिए जाती है तो वहाँ उससे सब तरह की चीजें मांगी जाती हैं आपके मैटर्निटी सेंटर्स पर न दवाइयाँ होती हैं और अन्य प्रकार का प्रबन्ध होता है। यहाँ तक कि सरकारी अस्पतालों की हालात यह ही चली है कि मरे से मरा आदमी भी नर्सिंग होम जाना चाहता है और महिलाएँ वहाँ डिलिवरी कराना पसंद करती हैं और आपके सरकारी अस्पतालों में वे नहीं जाती हैं। कारण क्या है कि इंजेक्शन देने के लिए स्पिरिट के फाँड़े तक के लिए भी मरीज को कहा जाता है कि तुम स्पिरिट खरीद लाओ पट्टी तुम खरीद लाओ। यह स्थिति आपके सरकारी सेंटर्स और अस्पतालों की है। महोदय में निवेदन करना चाहती हूँ कि कानून बना करके किताबों में भर देने से कोई लाभ नहीं होगा। आप इसके व्यावहारिक पहलुओं को देखिए कि दशा क्या होती चली जा रही है? इन मैटर्निटी सेंटर्स पर जितनी सुविधाएँ दी जानी चाहिए वे उपलब्ध हैं या नहीं, कृपया इसकी जांच कराइये और मैं यह समझती हूँ कि मैंने जो पहले व्यावहारिक सुझाव दिए हैं आप आनाकानी किए बगैर इन्हें स्वीकार कर लीजिए और ये सुझाव मान्य होने चाहिए।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती बीणा बर्मा: (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए और इस बिल का भी समर्थन करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि यह जो मैटर्निटी बेंचिफिट बिल, 1995 का अमेंडमेंट अब 1995 में आप लाए हैं, यह जो बेंचिफिट पहले दिया जाता चाहिए था यह आज 34 साल बाद होने जा रहा है जो कि बड़े दुर्भाग्य को बात है, वैसे मैं इसका समर्थन करता हूँ। प्रसूति महिला के लिए जो भी किया जाए वह बहुत कम

है। माँ बनना औरत के लिए सब से ज्यादा गर्व की बात होती है और उसके लिए हम इतनी लापरवाही बरतें यह भी एक दुर्भाग्य ही है। लेकिन मंत्री जी ने जो इस बिल के द्वारा विद वेजेज छुट्टी के लिए जो प्रावधान दिया है मिसकैरिज के लिए जो प्रावधान किया है या फिर ऐसे समय में किसी बीमारी में फत जाने के लिए भी जो तनख्वाह सहित प्रावधान दिया है उसका मैं स्वागत करती हूँ और कामकाजी महिलाओं के लिए यह जो अमेंडमेंट बिल लाये हैं तो देश में कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत कम है इसलिए अच्छा तो यह होता कि उन महिलाओं पर भी यह नियम लागू होना जो कि अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करती हैं। इस देश में जो टोटल काम होता है उसमें 80 प्रतिशत अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में महिलाएँ ही काम में लगी हैं और उन पर कोई भी नेबरजाँ लागू नहीं होता। तो क्या मंत्री जी ऐसा कोई प्रावधान या अमेंडमेंट आप लायेंगे कि जिससे ऐसी महिलाएँ जो कि अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर में काम करती हैं उनको भी प्रसूति का कुछ लाभ मिले और उन पर भी नेबर लाँ लागू हो। जैसे तो समान काम, समान मजदूरी भी उन पर लागू नहीं है। इसलिए मैं यह कहूंगी कि उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इस बिल का जो उद्देश्य है प्रसूति महिला को प्रसूति लाभ दिलवाना है जो कि बहुत अच्छा है लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा महिलाओं पर लागू हो यह भी इस बिल का उद्देश्य होना चाहिए था। हम देखते हैं जैसे हमने साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाया है इस देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया है और महिलाओं ने भी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता को प्रमाणित किया है और वे राष्ट्रीय मूक धारा में अपनी योग्यता साबित कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा महिलाएँ जो प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रही हैं लेकिन मजदूर हैं और क्लर्क के जो इस देश में योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आंकड़े हैं उसके 1981 के आंकड़े, थे...। इसके अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएँ 57.7 प्रतिशत थीं, क्लर्क महिलाएँ 0.7 परसेंट थीं

प्रशासनिक पदों पर 0.1 प्रतिशत थीं और तकनीकी क्षेत्र में उच्च पदों पर नहीं, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्र में 2.3 प्रतिशत महिलाएं काम करती थीं 1981 में। महोदय, छोटे-छोटे कुटीर उद्योगों जैसे कागज बनाना, सूत कातना, चर्खा चलाना, तम्बाकू या बीड़ी उद्योग मछली-पालन और सूती वस्त्र आदि इस तरह के उद्योगों में जो महिलाएं काम करती हैं, उन पर तो यह लागू नहीं होता है, लेकिन इन काम-काजी महिलाओं का नंबर बन रहा है। महोदय, 1983 में राजपत्रित महिला अधिकारियों की संख्या 1983 में 3 हजार थी और 1989 में वह 8 हजार हो गयी और राजपत्रित महिला अधिकारियों की संख्या 1 लाख 30 हजार से बढ़कर 2 लाख 3 हजार हो गयी है। महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि अब 1995 में जबकि मंत्री जी यह संशोधन लाए हैं, इस मेटेरिनिटी बेनिफिट ऐक्ट का कितनी महिलाएं लाभ उठाएंगी? और जसाकि हमारी मालती बहिन ने अभी कहा कि प्रसव से पहले और प्रसव के बाद, दोनों ही समय महिलाओं को आराम और केयर की जरूरत होती है। महोदय, दूसरे देशों में तो यह देख जाता है कि महिलाओं को मेटेरिनिटी लीव 6 महीने की मिलती है, लेकिन हमारा देश एक गरीब और विकासशील देश है और हमारी कोशिश तो यही होती है कि हर मां को हर सुविधा हम दे सकें और जो भी दिया गया है, उसका स्वागत है, पर इस सुविधा को और बढ़ाया जाना चाहिए। महोदय, कहना चाहूंगी कि हर कामकाज के स्थल पर इस संशोधन के अंतर्गत क्रेशे बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं जानना चाहूंगी कि क्या मंत्री महोदय एक और संशोधन लाएंगे जिससे कि हर ऑफिस में कार्य स्थल पर क्रेशे की सुविधा हो या शिशु गृह की सुविधा हो। यदि एक ऑफिस में यह संभव न हो तो कम से कम 3-4 ऑफिसेस को मिलाकर आसपास एक क्रेशे बना दें जिस से कि मां अपने बच्चे को कार्य स्थल पर लाकर सही ढंग से और पूरी सुविधा से काम कर सके।

महोदय, यह बेनिफिट फैक्ट्री ऐक्ट के अंतर्गत आने वाली फैक्ट्रियों पर भी लागू

होगा। महोदय, यह फैक्ट्री ऐक्ट 1957 में बना था जिस में प्रावधान था कि 30 महिलाएं जहां भी काम करेंगी, वहां पर वे इस सुविधा की भागीदार होंगी, लेकिन देखा गया है कि फैक्ट्रियों में एम्प्लायर महिलाओं को उतनी संख्या में लगाते ही नहीं हैं। वह 29 महिलाओं को रखते हैं और पूरी 30 नहीं होने देते जिससे कि इन सभी महिलाओं को बेनिफिट मिले, इसलिए इस में कोई ऐसा प्रावधान करें कि ज्यादा-से-ज्यादा महिलाओं को बेनिफिट मिले क्योंकि यह 40 साल पुराना ऐक्ट हो गया है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या इस में भी संशोधन लाने पर मंत्री जी विचार करेंगे? महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगी, इस ऐक्ट का यह मानकर कि यह बहुत जरूरी है यहाँ से हम पास भी कर देंगे, लेकिन कई जगह ऐक्ट लागू नहीं हो पाता। तो यह ऐक्ट लागू हो और महिलाओं को यह सुविधा मिल सके इस की कोई गारंटी मंत्री जी देंगे?

महोदय, दूसरी सब से ज्यादा जरूरी चीज यह भी है कि महिला को प्रसूति सुविधा देना ही पर्याप्त नहीं है। मां बनने का यह गौरव और सम्मान इस ऐक्ट के अंतर्गत उसे नहीं दिया गया है जो कि उसे मां बनने के लिए होना चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि जो महिला अपने बच्चे को लेकर काम करने आती है, उस को बहुत आदर से नहीं देखा जाता बल्कि ज्यादातर तो उन्हें नोकरी पर ही नहीं रखा जाता है। महोदय, यह तो महिला के अधिकार की उपेक्षा है। उस को "राइट ऑफ वर्क" होना चाहिए। अगर उस का बच्चा छोटा है तो उस को काम देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। क्या बिल में ऐसी बात का प्रावधान है? या फिर उन महिलाओं के लिए पहले ही कंडीशन रख दी जाती है कि आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट संस्थाओं में तो यही देखा जाता है कि पहले से ही उन महिलाओं को, जो बेचलर होती हैं, काम पर रखा जाता है मैं चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए यह कानून लागू हो और उनको इसकी सुविधा मिले, यही बिल का माशय होना चाहिए।

[ श्रीमती मीरा दसा ]

सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि क्या मंत्री जो यह आश्वासन देंगे कि हर काम के स्थान पर एक शिशु-गृह खुलेगा और सविन कंडीशन में यह होगा कि महिला जहां भी काम करेगी, वहां उस आफिस की जिम्मेदारी होगी कि वह शिशु-गृह खोलेगा? क्या आप यह संशोधन प्पेन्ट में लाएंगे ?

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Mr. Vice-Chairman, while appreciating the objective of the Bill, I would like to make some points. The objective of the original Act was to provide maternity benefit for the advantage of women employees and to provide some facilities for those mothers. Section 5 of the 1961 Act envisages that every woman shall be entitled to, and her employer shall be liable for, payment of maternity benefit at the rate of the average daily wages for the period of her actual absence. That was the provision of the Act. Although that Act was passed, some Members felt that the Act was not sufficient in itself, but that was considered to be a step in the right direction. It had definitely given a moral boost to the status of women. At that time, in the year 1961, some Members were of the view that the scope of the Bill was limited and suggested improvement. Now, in 1995, the real objective of that Act is being met. We are going to amend the original Act. At that time, they were of the view that the Act should be amended in accordance with the changing social demands. Now, population explosion is a social reality. It is not only an important, prime demand on our society

but also a burning problem before the nation. So, women are also a part of the social development. That is why I appreciate that the Minister and the Government have appreciated the contribution of women given to the women of

this country, unless sufficient opportunities are provided to the women of this country, particularly to those who are working in the factories and in other offices, it will become a party in not supporting the objective of social welfare. Therefore, this Bill is very timely and a very calculated one. That is nothing to say about it.

I have to make one more point. Earlier, medical termination of pregnancy, tubectomy, etc., were considered to be sins. That legacy has changed now. Now the educated women have changed their mental set up. They want to be in tune with the social change. That is why they want to have participation. But sometimes the medical termination of pregnancy becomes fatal. I think this one-month leave may not be sufficient and it may be increased according to the requirements of the lady worker.

While supporting the Bill, I sympathise with those who do not enjoy such benefits

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

श्रीमती चंद्रकला पाण्डेय : (पश्चिमी बंगाल) : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय । चार दिन से लगातार मैटरनिटी अमेंडमेंट बिल विजेटेड आफ दि डे में आ रहा था और इस बिल की हलत बड़ी ही अनिश्चित हो गई थी, अनिश्चित दिल्लीवरी-जैसी । खैर, श्रम मंत्री ... (व्यवधान)

श्री एस० एस० अहलुवालिया : इसीलिए इसको कहें जा रहा है, सीजियन कर दीजिए, जल्दी ।

श्रीमती चंद्रकला पाण्डेय : डिजेरियन ही करना पड़ा । श्रम मंत्री जी बड़े श्रम के बाद इसे लाए हैं, यह खुशी की बात है लेकिन मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि बिल लाने में भले ही देर हुई लेकिन इसके पास ही जाने पर इसे लागू करने में देर न करें जिससे कि जिस वर्ग के लिए यह बिल लाया गया है, सबमुच उस वर्ग की महिलाओं को मैटरनिटी बनिफिट मिल सके ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज दुनिया के प्रायः तमाम मुल्कों ने इस बात को मान लिया है कि स्त्री वर्ग को उसका वजिव हक मिलना चाहिए। समाज के विकास में महिलाओं को भागीदार बनाकर ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनके आरक्षण की बात की जा रही है, उन्हें तरह-तरह की सुविधाएँ देने की चर्चा की जा रही है, समान अधिकार की बात की जा रही है, पर बात धूम-फिरवार नहीं आ जाती है। आज भी मातृत्व को, जैसा कि वीणा वर्मा जी ने कहा, गौरव नहीं मिल पा रहा है। यदि किसी स्त्री के दो या तीन बच्चे हो तो फैक्टरी में काम देते समय पहले सोचा जाता है कि उसे काम दिया जाएगा तो बच्चों के साथ वह काम कर सकेगी या नहीं। उसे गौरव मिलना चाहिए और काम देते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वह भी उसी तरह काम कर सकती है जिस तरह और श्रम-जीवी महिलाएँ कर सकती हैं।

समाज की सबसे शोषित, वंचित इकाई मजदूर औरत, जिसके लिए बिल लाया गया है, मैं मेटरनिटी बेंनिफिट प्रमोशन बिल का समर्थन करती हूँ कि वह काम से उभरे या कुछ श्रम-जीवी महिलाओं के हक में है। पर इसकी अनेक सीमाएँ हैं, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगी कि इसमें और भी व्यापक बनाएँ जिससे देश की अधिक से अधिक महिलाएँ इससे लाभान्वित हों।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रमोशन बिल है, वह 1961 के मेटरनिटी बेंनिफिट एक्ट के ही तहत है और उन्हीं महिलाओं के लिए लागू होगा जो कारखानों, बागानों, दुकानों और कुछ अन्य स्थापनों में, जिनमें वे भी हैं जो सरकार के हैं, लागू होता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है कि इस बिल के जो बेंनिफिट्स मिलेंगे, वे उन छोटी सी महिलाओं के हित में ही लागू हो सकेंगे जो आरगोनाइज्ड सैक्टर में काम करती हैं। बिल में अनआरगोनाइज्ड श्रमिक महिलाओं की सुविधा के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मैं मंत्री महोदय को एक बार फिर सुझाव देना चाहूँगी कि उनके बारे में भी कुछ सोचें।

सन् 1991 की सेंसस रिपोर्ट को मद्देनजर रखें तो स्पष्ट होता है कि कुल 402.8 मिलियन महिलाओं में 22.69 प्रतिशत महिलाएँ ही संगठित श्रमिक हैं। एम्प्लॉयड टर्म्स पर केवल 91.4 मिलियन महिलाएँ काम करती हैं इनमें से भी 87 प्रतिशत महिलाएँ खेत मजदूरों के रूप में रोपनी, कटियाँ जैसे छोटे-छोटे काम करती हैं। छोटे प्राइवेट कारखानों, छोटी फैक्टरियों या ईट भट्टों में ठेके पर या दैनिक मजदूरी करने वाली औरतों के हितों की रक्षा की बात भी मंत्री महोदय को सोचनी चाहिए क्योंकि 6 प्रतिशत सरकार और पब्लिक सेक्टर वाली महिलाएँ ही इसके तहत आती हैं। वैसे सन् 1988 से ही गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में दो बच्चों के बाद पेड मेटरनिटी लीव नहीं दी जाती। उपसभाध्यक्ष महोदय, आज तक हमारे देश में परिवार का साइज कितना बढ़ा हो, इसका निर्धारण महिलाएँ नहीं पुरुष करते हैं। ऐसे में देखें तो महिलाओं को और सुविधा तथा सहूलियत के नाम पर यह उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन है। इस विधेयक से कहीं ऐसा न हो कि सैक्स डिटरमिनेशन टेस्ट को बढ़ावा मिले और फीमेल भ्रूण को नष्ट करने का स्कोप बढ़े। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस विधेयक के मूल में सरकार की जनसंख्या नियंत्रण की नीति है, जिसके तहत वह गरीब तबके की औरतों में मेडिकल टरमिनेशन आफ प्रिगनेंसी और ट्यूबेक्टामी को प्रोत्साहित करना चाहती है तो यह सोचना होगा कि एक लोकतांत्रिक देश में जब तक कोई बिल महिलाओं पर शोषा जाएगा तब तक उससे कोई सहूलियत नहीं होगी।

हमें अधिक सबलों पर सोचना होगा। महिलाओं की आमदनी के साधन विकसित करने होंगे और उन्हें विश्वास में लेना होगा। सरकार परिवार कल्याण परिकल्पना पर विचार करते हुए वर्किंग क्लास की महिलाओं के हित में इस बिल को और व्यापक बनाएँ, यह भी मैं कहना चाहती हूँ। साथ ही अंतिम बात, जो मैं यह कहना चाहूँगी कि बिल को इम्प्लीमेंट करने में जब वर्षों लग जाते हैं तो

[ श्रीमती चन्द्रकला पाण्डेय ]

बेनिफिट वसूल करने में श्रमिक महिलाओं को एडी-चोटी का पसीना बहाना पड़ता है। मजदूर स्त्रियों का ऐसा परिवार किंच प्रकार की परेशानी में गुजरता है, यह बात ध्यान में रखनी होगी और सोचना होगा कि एक मानिट्रिंग सेल बनाया जाए जिससे कि उनके पैसे का भुगतान समय पर किया जा सके। इस बात के साथ मैं इस बिल का समर्थन करती हूँ।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: At least, one male Member should speak on this Bill.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (निहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, इसका मैं समर्थन करता हूँ... (व्यवधान) तकलीफ यह है कि जब तकलीफ होती है तो शायद आपको तकलीफ न होती है—मालूम नहीं, लेकिन हमको तो होती है।

श्री जगदीश प्रताप माथुर : आपने बहुत अच्छा कहा।

SHRIMATI KAMLA SINHA (Biha): Sir I object to it. This is not a laughing matter. The hon. Member is laughing. What is this?

श्री जलालुद्दीन अंसारी : मैंने कहा कि अगर आपको कष्ट होता है तो हमको क्यों नहीं होगा? आपको भी होता है।... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SAUM): He has expressed his sympathy.

SHRI KAMLA SINHA: By laughing!

श्री जलालुद्दीन अंसारी : सबल सिर्फ महिलाओं का नहीं है, पूरे समाज का सबल है। महिलाएँ हमारे समाज की अभिन्न अंग हैं। समाज में जो पुरुष हैं, उनका दायित्व होता है कि महिलाओं की प्रसूति की सुविधाओं को बढ़ाया जाए। मैं इसका समर्थन करता हूँ—जो इसमें तीन उद्देश्य दिए गए हैं। पहला, गर्भ के चिकित्सीय समापन की तिथि से मजदूरी

सहित छः सप्ताह की छुट्टी की मंजूरी। यह पहला लक्ष्य है। मैं समझता हूँ कि अभी जो अगली अवस्था है हमारे समाज में और जो सरकारी दफ्तरों में हमारी महिलाएँ काम करती हैं, तो उनकी छः सप्ताह की छुट्टी काफी नहीं है। दूसरी देशों में तो एक साल की छुट्टी दी जाती है, मुझे मालूम है। एक साल की छुट्टी वेतन सहित सारी सुविधा के साथ उन्हें दी जाती थी। माना कि हमारे समाज में, हमारे देश में अगर इतना नहीं हो सकता है तो जैसा अभी बीणा वर्मा जी ने ठीक ही कहा है कि आप छः सप्ताह की छुट्टी देते हैं और अगर उस घर में पति और पत्नी ही हैं तो उस बच्चे की देखभाल कौन करेगा? प्रश्न है व्यवहारिक ढंग से चीजों को देखने का और उसको सही मायने में सुविधाएँ प्रदान करने का। इसलिए इसको एक साल नहीं कर सकते हैं, छः महीने नहीं कर सकते हैं, तो मेरा सुझाव होगा कि उनको कम से कम तीन महीने की छुट्टी वेतन सहित अन्य सुविधाओं के साथ दी जाए। साथ ही यह सुझाव भी आया है कि जहाँ वह काम करती हैं और जहाँ अगल-बगल बहुत सारे सरकारी ऑफिस हैं, उनके प्रांगण में शिशु गृह की व्यवस्था की जाए, जहाँ पर हमारी कामकाजी महिलाएँ अपने बच्चों का रख सकें और वहाँ पर उनके खाने-पीने व दूध इत्यादि की व्यवस्था हो। उनके बच्चों को यह सुविधा मिलने पर यह महिलाएँ दफ्तरों में अपने दायित्व का भी सही ढंग से पालन कर सकती हैं। हाँता क्या है? जब महिलाएँ दफ्तर में काम कर रही होती हैं तो उन्हें बच्चे की याद आती है और सोचती है कि उनके बच्चों का क्या हो रहा है, कौन देख रहा है उनका, उसने दूध पिया या नहीं पिया, खाना खाया या नहीं खाया और उसकी देखभाल कैसे होगी? इस चिंता से वह अपने कर्तव्यों का भी सही रूप से पालन नहीं कर पाएंगी, अपने कामों को भी सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाएंगी। इसलिए सरकार जब यह बिल लाई है तो इसके बारे में भी आपको यह व्यवस्था करना चाहिए। तीसरी बात जो हमको कहनी है कि गांवों में जो हमारी महिलाएँ हैं, उनको तो प्रसूति के मामले में और भी कठिनाई है।



کی سہولتوں کو دیکھتے تھے جو وہ دور  
 دو روز کے تھے تو اب میں جاتی ہیں۔ تمہیں اور سہولت  
 میں جاتی ہیں اسکو نہیں دینا چاہیے۔ ہم  
 سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا  
 ہو گا کہ کوئی لڑکی گلوں سے ہمیشہ کہتی  
 ہیں اس لئے میرا انورودھ ہو گا۔ تیسرا  
 سہولت ہو گا کہ اس دشمن میں بھی آپکو  
 پہل کوئی چاہئے اور اس لئے یہ سہولت کو  
 اس فریجٹ اور اس وچوائٹ کے نام  
 پر "شہرہ مند" کی نہیں نہیں اپنا لئے ہو  
 ہے۔ یہ بہت لئے وچوائٹوں پر بھی لگنا چاہئے  
 اس دشمن میں بھی آپ کو قدم اٹھانے  
 اور سہولت کے ساتھ ہم اس بل کا  
 سہولت کو دینے میں ہم سہولت کو

I SHRIMAI KAMLA SDFHSV; Mr Vice-Chairman, Sir, I am not going to repeat what my colleagues have ready mentioned, I have just two of three points to make, sir, this Bill has very limited purpose. It is going to amend two sections or rather add two or three more sections, for example, grant of six weeks' leave with wages in the case of medical termination of pregnancy. Actually, this Bill has a wider conation It is going to limit the family. The two-child norm is going to be introduced for the working class. That is the idea behind this new amendment. This has already been implemented. For example, in the public sector and in the Government jobs during the third pregnancy, maternity benefit not available to the expectant mothers. So, this is going to be a new addition to that. Now, for the third pregnancy,

I women alone are not responsible for this. What is the Minister going to do about the fathers who are going to have more than two children? What steps will be taken by the Minister in this regard? Is the Government going to do anything in this direction? That is most important. Otherwise, what will happen here? Mr. Vice-Chairman, Sir, the result will be that there decrease in the female population and we have already seen that. We have seen that- female foeticide is taking place and the number of women has gone down in India. It has gone down in China also, because in China also like India, people hanker after male children. What is the result? They go in for killing the unborn female children, and, therefore, the population of women has gone down. In many countries, it is going down. This is a danger going to happen in India also. So, I would like to caution the Minister that this should not happen and, at the same time, you should bring forward another legislation, which can be called paternity benefit Act. This act is already existing in many countries, The Paternity Benefit Act is already existing in many countries, rather many socialist countries. In the Scandinavian countries, fathers take care of their children when mothers go to hospital to deliver the baby. So, you should also introduce this Bill here. The Maternity Benefit Act should also be there and, at the same time, the same legislation should be applied to them also. For example, after two child births no father will be allowed to father a third child. Then only your purpose for which you have brought in this Bill will be served. so this is the point I wanted to make..

This Bill, as I said, has a very limited purpose. It will be applicable only to eight per cent of the total female employees employed in the Government, local and the public sector. This Bill is applicable only to them. What happens to the rest of the women? Until and unless you explain the purview of this Bill, nothing is going to be achieved. The purpose for which you are bringing in this Bill is not going to be achieved. In many tripartite meetings, of the Welfare and Health and Family Welfare Ministries, I have requested the Minister that, the product families, the young families, should be targeted and they should be motivated to come forward and to opt for family planning. That has not been done yet. Even the Labour Minister has not done it. I had expectations from him because I thought he has modern ideas. He has seen the modern world. He goes to ILO every year. He has an exchange of ideas in the ILO, but he has failed in his duties here. He has miserably failed. I am sorry to say that. And this Bill is literally an imposition on woman only. Why should it be in a position on woman, why not on men also? Men and women are equal partners in the procreation process. So, the same law should apply to them also. That is my contention. Why only men? Of course, the facilities that you want to give to the women are very good. More facilities should be given to them as my sisters have already said. I don't want to repeal these things. I would only say that the onus of childbirth does not lie with women, so, the onus of childbirth lies equally with the father. The father also must bear the brunt of it, and you must take care of it.

SHRI P.A. SANGMA: Sir, I would like to thank all the hon. Members, in

act, the whole House for supporting these amendments. I will be very brief— Before these amendments were finalised, Sir, we had convened a meeting of the women Members of both the Houses of Parliament as well as the leading women organisations, of the country.

SHRIMATI KAMLA SINHA: And they all objected to it.

SHRI P.A. SANGMA: Shrimati Kamla Sinha was herself present. I am sure she has forgotten about that meeting. What was discussed in the meeting you have forgotten, Madam, because you were in a hurry. You just came in and went away and, therefore, you did not know what happened in that particular meeting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Do you remember that also? SHRI P. A. SANGMA: I remember that.

Sir, I must humbly submit that the Bill which is before the House is based on the consensus which emerged after all the consultations, including that with Members of both the Houses. In fact, Sir, the report of the Standing Committee is before the House. It has come back from the Standing Committee as it is. The Standing Committee had approved it without any comments, without any change.

I beg to differ from Madam Kamla Sinha that this Bill is meant to prevent women from having more than two children. There is no provision for that effect here. In fact, the point came up for discussion in that meeting which I have referred to, where Members of Parliament were also there, as I said. There was a proposal, here, every Member of Parliament

and every women's organisation, including the National Commission for Women, referred to that provision— Therefore, in deference to the wishes of everyone, I deleted that.

What was accepted in that meeting is before the House. Therefore, I am

sorry that Madam Kamla Sinha has got herself mixed up. Where is the question of imposing anything here? What am I going to impose? On whom.

am I going to impose?

Sir, I agree that this benefit which

is being given to the working women is not available to everybody. There are two legislations, two Acts, in the country under which women get maternity benefit. One is the Employees' State Insurance Act. Those who are getting maternity benefit under that Act—there is a large number—

are not covered by this Act. This Act applies only to those workers who are not covered by the Employees' State Insurance Act. Therefore, there

are two legislations under which maternity benefit is given to the working women: It is true that the total number of women workforce is about ninety million, as of today and a large number of them are outside the purview of this Act. This is because this Act applies only to the factories, plantations, etc. But the State Governments have been empowered by the Act itself to cover other establishments. Therefore, it is for the State Governments' to decide whether they would like to extend the law to cover other establishments. It is open to the State Governments. Therefore, it is not a closed chapter that this Act applies only to certain industries. It can be applied to other industries also.

At the same time, Sir, there are also difficulties in applying this Act. One important point I would like to share, in this connection, with the House is that, today, we have a lot of unemployment among women. We should not take the law to such an

extent that nobody would like to employ women in the country. Let us be very clear about that point also. Therefore, the benefit that we are giving has to be balanced. This point also has to be kept in mind. It is, precisely, keeping these things in mind that we have brought forward this amending Bill.

SHRIMATI MIRA DAS: Mr. Minister, there is one apprehension here. Generally, the tendency on the part of the employers is to employ less number of women. Now, it is apprehended that the employers would consider it as an additional burden and would employ less number of women. This point also has to be taken into consideration.

SHRI P. A. SANGMA: Sir, a very valid point has been raised by all the Members. It is about the provision of creches for the children of working women. Under the present law— whether it is the Factories Act or the Plantation (Labour) Act or the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act—creches have to be provided by the employer. I think it is the implementation part of it which has to be looked into. The law is there already. Provision is there.

SHRI JAGESH DESAI: In many cases, it is there only on paper.

SHRI P. A. SANGMA: What is important is to see that it is implemented properly. It is a question of ensuring that this is implemented properly, I will keep this in mind. Perhaps, I have to have a meeting with the State Governments, or, even with the trade unions. I will see what can be done about it. Whatever improvements can be brought about in that, we will try to do it.

Sir, these are the points which have been raised. I once again thank all!

the Members who have spoken. I request that the Bill may kindly be

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): The questions are: "That the Bill further to amend the Maternity Benefit Act, 1961, taken into consideration"

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill,

*Clauses 2 to 6 were added to the Bill.*

*Clause 1 the Enacting Formula and the Title were added to the Bill*

SHRI P. A. SANGMA: I move:

"That the Bill be passed.

*The question was put and the motion was adopted,*

DR. BIPLAB DAS GUPTA: The Minister is relieved of the labour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SAUM): We have passed this very important Bill with co-operation from everybody.

DR. BIPLAB DAS GUPTA: What was bom, a boy or a girl?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: There was only labour. Nothing was born.

SHRI GOVINDRAM MHH: Sir. about the Bill which has been passed

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI MD. SALIM): What are you raising now? It has already been passed, (*.Interruptions*)

Half an hour discussion—

**ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER GIVEN IN RAJYA SABHA ON THE 18TH MAY, 1995 TO STARRED QUESTION NO. 601 REGARDING SC/ST BENEFICIARIES UNDER PRIME MINISTER'S ROZGAR YOJANA.**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Now, I have to take the Sense of the House. I cannot adjourn the House like this.

A Half-an-Hour Discussion has been listed in the List of Business.

SHRI SANATAN BISI (Orissa) Sir, it will take only fifteen to twenty

**श्री एस० एस० महलक्ष्मिणः : कल एस०सी०, एस०टी० पर कास्टीट्यूशन अर्नेडमेंट प्रा यहा है, उस वक्त यह बोल सकते हैं (अवधान)**

**श्री सनातन बिसि : यह दूसरी बात है (अवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SAUM): The Half-an-Hour Discussion is regarding SC/ST beneficiaries under the Prime Minister's Rozgar Yojana-

SHRI SANATAK BISI: It can be disposed of within fifteen to twenty minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MD. SALIM): Are you sure?

SHRI SANATAN BISI: Yes, we will nish it within fifteen minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHSI MD-SALIM): Yes, Mr. Sanatan Bisi. Please be brief.

SHRI SANATAN BISI: We will finish it within fifteen minutes.

Sir. I am raising this Discussion under Rule 60 of the Rules of Procedure. This matter relates to Starred Question No. 601 dated 18th May, 1995 regarding SC/ST beneficiaries under the Prime Minister's Rozgar Yojana.

I will deal with the matter" so far as the Government policy is concerned, the non-uniformity of the" present policy and regarding the figures submitted in reply to the Starred Question as well as Unstarred Questions and those given on *Past 167* of the Economic Survey, 1994-95/ I will briefly deal with the matter.